Annex-(16)

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ शासन
योजना भवन, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–19
नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़
टेलीफैक्स : 0771–2511223 ईमेल: ms.cgspc@nic.in

//स्वीकृति आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.01.2021

क्रमांक 09...../F2(N)-05/रायोआ/2020 : छत्तीसगढ़ शासन, वित्त निर्देश 30/2016 द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुये एतद् द्वारा Dr. Bhavana Dixit, Assistant Professor, Guru Ghasidas Viswavidhayalaya, Bilaspur को उनके द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव "A survey on Mushromm Diversity conservation throgh community based natural resource management and its significance for the livelihood of tribal women in Bilaspur forest division of Chhattisgarh" हेतु राशि रू. 5.00 लाख (पॉच लाख रुपये मात्र) को दो किश्तो में प्रदाय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/ उक्त स्वीकृति "Research Evaluation Committee" की बैठक दिनांक 16/12/2020 में प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर जारी की जा रही है।

3/ निम्नानुसार मदवार राशि रू. 5.00 लाख प्रदाय की स्वीकृति प्रदाय की जाती है –

(अ) अनावर्ती व्यय – 1.00 लाख

(ब) आवर्ती व्यय – 4.00 लाख

S.No.	Item	Budget	Total (Rs.)
1.	**Non-Recurring**	1,00,000.00	1,00,000.00
2.	**Recurring**		
2.1	Salary of Project Staff	50,000.00	50,000.00
2.2	Contingencies	1,00,000.00	1,00,000.00
a)	Chemical, Glassware, Other Items	90,000.00	90,000.00
b)	Stationary, Books Reprints etc	1,00,000.00	1,00,000.00
c)	TA, Hiring of vehicle for Field Work only	60,000.00	60,000.00
		Total Budget Rs.	5,00,000.00

उपरोक्तानुसार योजना के नियम, शर्त के आधार पर उक्त कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में पूर्ण अनावर्ती व्यय तथा आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत यथा 3.00 लाख प्रथम किश्त के रूप में प्रदाय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त कार्य हेतु 03 माह की अवधि निर्धारित की गई है। उक्त अवधि की गणना प्रथम किश्त जारी दिनांक से की जावेगी।

4/ उपरोक्तानुसार व्यय मांग संख्या–31 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय योजना क्रमांक 7639–राज्य योजना का सुदृढ़ीकरण मूल्यांकन एवं अनुसंधान के अंतर्गत #10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, उपशीर्ष 003– परामर्श सेवाएं मद से विकलनीय होगी।

5/ राज्य योजना आयोग द्वारा योजना अंतर्गत जारी "Guideline for sponsoring Research Projects/Study Proposals" अंतर्गत निहित समस्त नियम एवं शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

6/ मुख्य नियम व शर्ते –

6.1/ स्वीकृत राशि में से प्रथम किश्त के रूप में अनावर्ती व्यय हेतु पूर्ण राशि तथा आवर्ती व्यय हेतु प्रस्ताव की 50 प्रतिशत राशि प्रदाय की जावेगी। उक्त राशि संस्था प्रमुख को जारी की जावेगी। जिसे उनके द्वारा Principal Investigator को जारी किया जा सकेगा। स्वतंत्र शोधकता को राशि सीधे प्रदाय की जावेगी।

6.2/ प्रथम इंट्रिम रिपोर्ट, व्यय का विवरण तथा एनेक्सर–3 अनुसार निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख द्वारा प्रस्तुत करने के बाद द्वितीय एवं अंतिम किश्त की राशि जारी की जावेगी।

6.3/ शोध की ड्राफ्ट रिपोर्ट को ''Research Evaluation Committee'' के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। समिति द्वारा दिये गये सुझाव अनुरूप अंतिम रिपोर्ट मय संक्षेपिका तथा सुझाव के साथ एनेक्सर–4 संलग्न करते हुये 5 हार्ड कापी तथा सॉफ्ट कापी राज्य योजना आयोग को संस्था प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

6.4/ फाईनल रिपोर्ट के साथ सामग्रीवार व्यय का विस्तृत विवरण (क्रय बिल/वाउचर) तथा उपयोगित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में दिया जाना होगा ।

6.5/ अनुपयोगित राशि को राज्य योजना आयोग को NEFT/RTGS/Demand Draft (सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के नाम से) के माध्यम से वापिस किया जाना होगा।

6.6/ शोध/अध्ययन परियोजनाओं/अध्ययन हेतु प्रदाय राशि से क्रय की गई अनावर्ती स्वरूप की सामग्रियों को संबंधित शासकीय संस्था/विभाग को जमा करना होगा जिसकी स्टाक एन्ट्री संस्था/विभाग द्वारा की जाकर उसकी पावती फाईनल रिपोर्ट के साथ प्रदाय करनी होगी। स्वतंत्र शोधकर्ता/गैर सरकारी संस्था द्वारा अनावर्ती स्वरूप की सामग्री को राज्य योजना आयोग के भण्डार शाखा में फाईनल रिपोर्ट प्रदाय के समय जमा करना होगा।

6.7/ सामग्री का क्रय भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये करना होगा।

6.8/ प्रदत्त स्वीकृति अंतर्गत जारी राशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना अनुसार घटकवार निर्धारित सीमा में सुनिश्चित किया जाना होगा।

6.9/ निर्धारित उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र अनुसार पूर्ण कार्य संपादन सुनिश्चित न होने पर प्रदायित राशि को वापिस किया जाना होगा।

6.10/ शोध/अध्ययन संबंध में हुई प्रगति व अन्य जानकारी को राज्य योजना आयोग द्वारा चाहे जाने पर उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।

संलग्न :– योजना गाईडलाइन्स, विस्तृत नियम एवं शर्तें।

21/1/2021

(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक: 10......../F2(N)-05/रायोआ/शोध/2020/ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22-01-2021

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़।
2. निज सहायक, माननीय सदस्य, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़।
3. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. अवर सचिव, छ.ग. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. Dr. Bhavana Dixit, Assistant Professor, Guru Ghasidas Viswavidhayalaya, Bilaspur की ओर। राशि की मॉग हेतु संस्था प्रभारी का नाम, पदनाम, बैंक खाता क्रमांक, बैक का नाम एवं पता, एकाउंट होल्डर का नाम, निरस्त किया गया चेक, IFSC Code, आधार कार्ड की प्रति इत्यादि संबंधित जानकारी जो कि संस्था प्रमुख से प्रमाणित हो, को राज्य योजना आयोग, वित्त शाखा को प्रथम राशि जारी करने हेतु उपलब्ध करावे। साथ ही संस्था प्रमुख और शोध/अध्ययनकर्ता का फोन नं., पता व ईमेल आई.डी. भी प्रदान करें।
6. संयुक्त संचालक, वित्त, राज्य योजना आयोग को। संबंधित से जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार किश्त प्रदाय की कार्यवाही सुनिश्चित करें, लेखा अद्यतन रखें तथा राशि प्राप्ति दिनांक व प्रकार से शोध शाखा, राज्य योजना आयोग को अवगत करावे।

21/1/2021

सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़